न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –10/2025 दायर दिनांक 10.03.2025 GCMS CASE NO-2025/10

1. जसवन्त (जसवन्त गोदारा) पुत्र ओमप्रकाश गोदारा जाति जाट निवासी रामपुरा न्यौला (1 आरएम) तहसील सूरतगढ़ –अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ –रेस्पोण्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट की ओर से

–::निर्णय::– दिनांक 29/01/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 18/2024 अनवान सरकार बनाम जसवंत सीगा धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 में पारित आदेश दिनांक दिनांक 28.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने चक 1 आरएम के पत्थर न. 100/308 के किला न. 16 ता 18 के 0.759 है0 व पत्थर न. 101/308 के किला न. 20, 21, 23 ता 25 मे 1.265 है0 कुल 2.024 है0 कमाण्ड़ रकबा पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए मालगुजारी का 50 गुणा पेनल्टी राशि वसूल करने व फसल कुर्क करने व कुर्कशुदा फसल निलाम करने तथा पैनल्टी राशि की मांग कायम करने व वसूल करने व जैर अपील भूमि से अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। जबकि उक्त रकबा पर अपीलांट के पिता का तथा पिता के पश्चात अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार अपीलांट का 50–55 वर्षो से रकबा पर कब्जा काश्त चला आ है। अपीलांट ने अपने 55 वर्ष पुराने कब्जा काश्त के रकबा को मीडियम पेच में आवंटन करवाने बाबत आवंटन नियम 1975 के नियम 14 ख में आ[illegible]ए सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है जो जैरकार है। [illegible] जो व्यक्ति आंवटन का पात्र है तथा जिसका कब्जा सन् 2005 से पू[illegible] उस काश्तका[illegible] रकबा ऑयटन नियम 1975 के नियमो मे मिडियम पेच या अन्य नियमो [illegible] ली जायें। [illegible] उसके पिता इस रकबा पर पिछलें 50–55 वर्षो से काबिज है [illegible] अपीलान्ट के पिता औमप्रका[illegible]कौत हो जाने के पश्चाज इस रकबा पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है व इस रकबा को

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:53:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मिडियम पेच मे ऑक्टन करवाने के पश्चात किश्ते/नियमन राशी जमा करवाने को तैयार है तथा ऑवटन की पत्रावली उपखण्ड अधिकरी सूरतगढ़ से तहसीलदार सूरतगढ को वास्ते रिपोर्ट पेश की हुई है तथा मिडियम पेच के अलावा भी राज्य सरकार की अधिसुचना संख्या एफ 4 (16) कोलो. / 99 दिनांक 26.11.2004 राजस्थान उपनिवेशन (ई.गा.न.प. ऑवटन एव विक्रय) नियम 1975 में नियम 21 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.1996 से पूर्व लगातार पाँच वर्षो से काबिज है तो उसे भूमि से बेदखल ना कर भूमि पर काबिज रहने दिया जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अधिसुचना संख्या एफ 4 (16) कोलो/99 जी.एस.आर. 89 दिनांक 11.01.2008 द्वारा प्रावधान किया कि अगर कि कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 01.1.2000 से पाँच वर्षो से अनाधिकृत रूप से काबिज है तो उसे बेदखल ना किया जावे तथा इन नियमों मे यह भी प्रावधान है कि दिनांक 1.1.2000 से सात वर्षो में से किन्ही पाँच वर्षो में भी कब्जा है तो उस व्यक्ति को डी.एल. सी दरो पर ऑवटन कर दिया जावे उसको बेदखल ना किया जावे फिर अदालत मातहत ने नियमों की अनदेखी कर जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंट पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर जैर अपील निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को धारा 22 राज. उपनिवेशन अधिनियम के तहत विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.10.2024 उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया गया था। उक्त जवाब असन्तोष्रद होने तथा अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अपने हक/हकूक संबंधी कोई दस्तावेजात पेश नही किये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय नैंसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप पारित किया जाना व उक्त निर्णय में कानूनी प्रावधानों का किसी तरह उल्लंघन होना हम नहीं पाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) के प्रकरण संख्या 18/2024 ब अनवान सरकार बनाम जसवंत में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़(श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:53:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner